Seventeenth Loksabha

>

Title: Further discussion on Crop Loss due to various reasons and its impact on farmers. (Discussion consluded).

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Chairperson, Madam, farmers are the founders of our civilization and prosperity. यहाँ किसानों और कृषि को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं । बीजेपी के कोई नेता उस दिन कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को किसानों के बारे में क्या जानकारी है । जवाहर लाल नेहरू जी से शुरू करके आज तक किसी को किसानों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वे ऐसा बोल रहे थे । मैंने उस दिन यह कहने की कोशिश की थी कि सारे लोग जानते हैं कि हिन्दुस्तान की यह बीजेपी पार्टी ट्रेडर्स की पार्टी है, लेकिन यहाँ आकर वे किसानों की पार्टी बनना चाहती है । मैं जवाहर लाल नेहरू की एक बात कहना चाहता हूँ । जवाहर लाल नेहरू कहते थे कि most things can wait except agriculture. इंदिरा गाँधी जी हरित क्रान्ति लायी थीं । इसके बाद हमें सुनना पड़ता है कि कांग्रेस ने क्या किया है । हमें तोमर साहब से यह पूछना चाहिए कि आपके इतने सारे साल तक पद संभालने के बाद आज कृषि का हाल ऐसा क्यों है? आज इंश्योरेंस कवर, जो आपका लक्ष्य, टारगेट था, क्या आप वहाँ पहुँच पाए? हमारी माँग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लीगल राइट की हैसियत से दर्जा दिया जाए ।

नीति आयोग भी यही कहता है, हिन्दुस्तान में आज कृषि वृद्धि दो फीसदी के नीचे पहुंच गई है, खपत कम हो गई है । जब कृषि में खपत नहीं बढ़ेगी, मांग नहीं बढ़ेगी तब तक हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं बदलेगी । कोई कहता है कि अभी farmers are not cultivating crops; rather, farmers are cultivating losses. हिन्दुस्तान में कृषि का हाल कहां पहुंच चुका है, सबसे बड़ा सबूत यह है कि हर रोज एक कृषक को खुदकुशी करनी पड़ती है । हर रोज एक कृषक

खुदकुशी कर रहा है और आप कह रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ चुकी है । नाबार्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि According to the All India Rural Financial Inclusion Survey of NABARD, the average monthly income per agricultural household in 2015-16 was Rs. 8,931 only. Doubling this figure by 2022 would require farmers' incomes to increase between 13 per cent and 15 per cent per year. सबसे बड़ी मुश्किल है कि फार्मर को उचित मूल्य नहीं मिलता है, उचित मूल्य नहीं मिलने के चलते फामर्स खुद परेशान हैं और फामर्स की परेशानियां हिन्दुस्तान की माली हालत से प्रतिबिम्बित होती हैं । आज फामर्स नहीं चाहते हैं कि उनका रोजगार कम हो जाए, वे बाहर जाना चाहते हुए भी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हिन्दुस्तान में आज 45 सालों के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी छाई हुई है । एमएसपी 225 प्लस पर देते हैं, 25 क्राप पर एमएसपी देते हैं, Only about six per cent farmers of the country are able to sell the produce directly to the procurement agency. आप पैसा देते हैं, बजट में पैसा देते हैं, सदन में कहते हैं कि इतने पैसे दिए हैं, लेकिन ग्रास रुट पर कितने किसानों को ये पैसा कितने किसानों के पास जाता है, इसे आपको देखना चाहिए । आप कहेंगे कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसर्फर प्रोग्राम बना दिया, वहां भी आप आकर देखेंगे तो स्मॉल और मार्जिनल फामर्स की एग्रीकल्चर अकाउंट के अंदर 59 परसेंट हिस्सेदारी है, उनके पास 41 पैसा जाता है । पैसा कहां जाता है? आप सदन में पेश करते हैं कि बारह लाख करोड़ रुपये का एग्रकल्चर क्रेडिट दे दिए हैं लेकिन एग्रीकल्चर क्रेडिट अरबर्नाइज्ड हो चुका है । एग्रीकल्चर क्रेडिट में ज्यादा पैसे कर्मशियल सिटी बैंक से जाते हैं, क्योंकि कारपोरेट लोग एग्रीकल्चर में आ गए, इसका मतलब किसानों का पैसा अभी कॉरपोरेट लोगों की जेब में जाने लगा है । ...(व्यवधान) आज तक एमपीएमसी रिफार्म नहीं कर सके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट 2003 का रिफार्म नहीं कर सके । अभी भी एपीएमपी मॉनोपोली चल रही है, कर्टेलाइजेशन चल रहा है । आप इससे न नहीं कर सकते । आप कहते हैं कि पीएम किसान के तहत छह हजार रुपये ईयरली मिलने वाला है । लेकिन मेरा एक सुझाव है, हमारी पार्टी की तरफ से हमने न्याय का एक प्लान दिया था जिसका नाम है 'न्याय' । हिन्दुस्तान के 20 गरीब लोगों को सालाना 72 हजार रुपये मिले, यह

हमारा आपको सुझाव था, लेकिन आपने नहीं सुना । तेलंगाना में 'रायतुबंधु' और ओडिशा में 'कालिया' जैसा स्कीम है । आप ऐसी स्कीम क्यों नहीं ले पाते । आप जानकर हैरान हो जाएंगे According to the Survey of NABARD, the average outstanding debt of a rural household was Rs. 91,407. Could you imagine that, hon. Minister? The agriculture sector has been undergoing severe stress and strain. So, you have to have some innovative measures in order to get rid of those depressed sectors out of the economic and financial morass. आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं । यहां तो बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, एग्रीकल्चर में काफी तरक्की हो गई है । दुनिया में 117 देश हैं जिनमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स तय किया गया है । दुनिया के 117 देशों में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान 102 वां है । 102 में स्थान होने का मतलब, वर्ष 2004 में हम हिन्दुस्तान में 20 करोड़ लोगों को पावर्टी के बाहर लाए थे, वे अब पावर्टी में चले गए हैं ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : इनको बोलने दीजिए । अब यह भी सीख गए हैं क्या?

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यहां सदन में चर्चा होती है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं । ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश हमसे आगे है । ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश का स्थान 88 वां है और हमारा स्थान 102 वां है । वर्ष 2014 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान 55 वां था । आपके जमाने में गरीबी दोगुनी हो गई । आप किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जमाने में गरीबी दोगुनी हो गई है । बड़ी-बड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं है । कथनी से कोई काम नहीं बनेगा, करनी से काम बनता है । आपकी सरकार कथनी की सरकार है करनी की नहीं है । मैं आपको एक और ब्यौरा देता हूं- India is ranked 44 in Nomura's Food Vulnerability Index, which has compiled the vulnerability of 110 countries in the world. आपके खिलाफ हिन्दुस्तान के सारे किसान अगले महीने 8 तारीख को धरने पर जा रहे हैं, क्योंकि आप किसानों को दाम नहीं देते हैं । आप कहते हैं कि किसान

बैंक में जाकर पैसा जमा करते हैं । Consumption is down at a 47-year low. ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, यह एनएसएसओ की रिपोर्ट है । Household savings are at 20-year low.यह भी एनएससओ की रिपोर्ट है । India's overall savings rate has declined to 30 per cent. …(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सिर्फ आधा मिनट, हो गया । मैं गिरिराज सिंह को सुनना चाहता हूं । खरीफ के मौसम में Kharif crops were selling at eight per cent to 37 per cent below MSP, that is at an average of 22.5 per cent. Crores of farmers growing *Tur, Moong, Urad, Soyabean, Sunflower, Kala Til, Jowar, Bajra, and Ragi* did not get MSP for their crops. गिरिराज जी सुनिए The MSP of Rabi crops for the season 2020-21, declared by the BJP Government, has seen a pittance of increase.… (व्यवधान) आपने सिर्फ 4 से 7 फीसदी बढ़ाया है । इसलिए यह सरकार किसानों के लिए नहीं है । आप किसानों के ऊपर जीएसटी लगाते हैं । उसके फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर आदि सब पर जीएसटी लगाते हैं । जीएसटी किसानों को वापस नहीं मिलता है । इसलिए यह सरकार ट्रेडरों की सरकार है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी अब आपना जवाब दीजिए ।

…(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय सभापति महोदया, नियम 193 के अंतर्गत विभिन्न कारणों से फसलों की हुई क्षति और किसानों पर इसका प्रभाव इस विषय पर आपने चर्चा की अनुमति दी थी और मुझे प्रसन्नता है कि सदन में एक लंबी चर्चा हुई और अधीर रंजन जी सहित लगभग 52 मेम्बर्स ने इसमें भाग लिया ।

श्री के.सुरेश जी ने इस चर्चा को प्रारंभ किया था । वीरेन्द्र सिंह जी, पलानीमणिक्कम जी, कल्याण बनर्जी साहब, पोचा बी. रेड्डी जी, विनायक राउत जी, कौशलेन्द्र कुमार जी, भर्तृहरि महताब जी, दानिश अली जी, ए.एम. आरिफ जी, नामा नागेश्वर राव जी, सुनील तटकरे जी, सुशील कुमार सिंह जी, सरदिन्हा साहब, जयदेव गल्ला साहब, एम. सेल्वराज, डॉ. प्रीतम मुण्डे, हनुमान बेनीवाल जी, अनुप्रिया जी, नवनित राणा जी, दुष्यंत जी, थॉमस जी, एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, नन्द कुमार सिंह चौहान जी, अबु ताहिर खान जी, के.आर. कृष्णराजू जी, धर्मवीर जी, गजानन कीर्तिकर जी, रितेश पाण्डेय जी, सुप्रिया सुले जी, संजय बी. पाटिल जी, डीन कुरियाकोस जी, पी. आर. जाधव जी, परबतभाई पटेल जी, श्रीनिवास दादा साहिब पाटिल जी, भगवंत मान जी, श्री भागीरथ चौधरी जी, श्री जसवीर गिल जी, अनिल फिरोजिया जी, सम्भाजी राव माने जी, अजय भट्ट जी, अमर सिंह जी, सौमित्र खान जी, उमेश पाटिल जी, रविन्द्र कुशवाहा जी, रमेश बिधूड़ी जी, ई.टी. मोहम्मद बशीर साहब और आज अधीर रंजन जी ने इस चर्चा को पूरा किया है ।

माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है । इस बात को सब जानते भी हैं और सब मानते भी हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार जब किसानों का विषय आता है तो लोग चर्चा करते-करते संकीर्ण एजेंडे पर चले जाते हैं । किसानों के मामले में जब तक राजनीति होती रहेगी, तब तक किसानों के साथ न्याय कर पाना कठिन होगा । भारतीय जनता पार्टी ने कभी यह नहीं कहा कि आजादी के बाद किसी भी सरकार ने या किसी भी प्रधान मंत्री ने किसानों के लिए कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया । सबने अपने-अपने समय पर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी देश जैसा चाहता था, किसान जैसा चाहते थे और जो जरूरी था, वह अब तक हो नहीं पाया । इसके कारण किसान की तकलीफ से हम सब लोग चिन्तित ही रहते हैं । अभी अधीर रंजन जी अपनी बात कह रहे थे, उस समय भी उन्होंने किसानों की बात के अलावा, बहुत सारी चीजें उसमें मिला दीं । …(व्यवधान) जब मिलावट होती है तो परिणाम भी मिलावट जैसा ही होता है । …(व्यवधान)

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से, सदन को कहना चाहता हूं कि किसान के बारे में और कृषि की प्रधानता को दृष्टिगत रखते हुए आरम्भ से विचार होता तो शायद हमें आज ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता । हम सब जानते हैं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था गांव और किसान पर टिकी थी तो हमारी सरकारों की प्राथमिकता इस ओर होनी चाहिए थी, लेकिन इस ओर उतना ध्यान नहीं था, इसी के कारण आज किसान को समय-समय पर दुर्दशा का शिकार होना पड़ता है । सरकार केन्द्र की हो या राज्य की हो, लगभग वह कोशिश करती है कि किसान को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करे, लेकिन इसके बावजूद भी किसानी एक ऐसा कार्य है, जो प्रकृति पर भी निर्भर करता है । किसान को बिजली चाहिए, किसान को पानी चाहिए, अच्छा बीज, अच्छी खाद चाहिए और खेती के लिए श्रम चाहिए । यदि इन सबकी उपलब्धता हो भी जाए, तो भी प्राकृतिक आपदा जब आती है, तो किसान की सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है । यह चर्चा मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा पर ही निर्भर करती है । पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है, उससे किसान भी परेशान है और सरकार भी चिंतित है तथा गंभीरता से इस विषय में काम कर रही है । सदन में भी सभी सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है । निश्चित रूप से यह सच है कि क्लाइमेट चेंज की समस्या से आज सारी दुनिया पीड़ित है और सारी दुनिया उस पर चिंता कर रही है । संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट को यदि हम देखें तो सामान्य तौर पर मानव के उपभोग के लिए जो खाद्यान्न है, उसकी हर वर्ष 750 बिलियन डालर के बराबर हानि होती है, अनाज खराब हो जाता है । पूरे विश्व में मौसम में बदलाव हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण मौसमी घटनाएं हो रही हैं, बेमौसम बरसात हो रही है और उसका नुकसान किसान को भुगतना पड़ रहा है । यदि हम पिछले दिनों को देखें, तो हमारे ध्यान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आएगा । 1 जून, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक समग्र वर्षा सामान्य वर्षा से दस प्रतिशत अधिक हुई है । देश के 31 प्रतिशत क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई है और 15 प्रतिशत क्षेत्र में वर्षा कम हुई है तथा 54 प्रतिशत क्षेत्र में सामान्य वर्षा हुई है । इस प्रकार की जो सूचनाएं मिली हैं, उनके अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र,

कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड आदि 15 राज्य प्रभावित हुए हैं ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : क्या इसमें पश्चिम बंगाल का नाम नहीं है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : इसमें पश्चिम बंगाल भी है । यह जो मौसम परिवर्तन के कारण पर्यावरण की स्थिति है, इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं और विशेष रूप से हम देखें तो इसके लिए मानव ही जिम्मेदार है । अगर प्रकृति में असंतुलन मानव द्वारा खड़ा नहीं किया होता, तो शायद इस परिस्थिति से हम आज जूझ नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से इस समस्या से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । पेरिस कनवेंशन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो इकट्ठा हुआ, उसका जो डिक्लेयरेशन है, उसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता है और भारत सरकार ने इन सभी चीजों से निपटने के लिए आठ मिशन भी बनाए हैं । राष्ट्रीय सौर मिशन, संबंधित ऊर्जा दक्षता मिशन, स्थायी सतत् निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयीन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत मिशन, राष्ट्रीयकृत सतत मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन ज्ञान मिशन और इन सब पर संबंधित मंत्रालय पूरी गंभीरता के साथ आज काम कर रहा है । लेकिन सामान्य तौर पर देखेंगे, तो आज का विषय मुख्य रूप से कृषि से संबंधित है और कृषि मंत्रालय की दृष्टि से भी रणनीति बनाई गई है ।

हम सब लोग जलवायु अनुकूल कृषि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, अनेक मिशनों पर काम कर रहे हैं । 2012 से 2018 के दौरान 400 से अधिक जलवायु अनुकूल जल लाइनों और 58 झीलों टाइप की पहचान कर ली गई है । 45 मॉडल विकसित किए गए हैं । प्रत्येक जिले के एक प्रतिनिधि गांव को लेकर, ऐसे 151 जिलों में से एक जलवायु अनुकूल गांव को विकसित करने का काम किया जा रहा है जिससे निश्चित रूप से आने वाले कल में हम लोग ऐसी परिस्थितियों से ठीक प्रकार से निपट सकें । पूर्वानुमान मौसम का लगे, इस दृष्टि से पहले भी सरकार काम कर रही थी लेकिन अब और गंभीरता से काम करना शुरू किया है । आप देखें तो वर्तमान में उपलब्ध

जानकारी के अनुसार 40.2 मिलियन किसानों को सीधे एसएमएस के माध्यम से मौसम से संबंधित एडवाइजरी जारी की जाती है जिससे वे अपना प्लान कर सकते हैं और इसके लिए एक टोल फ्री नम्बर 18001801717 भी दिया गया है । यह टोल फ्री नम्बर सारे देश में 22 भाषाओं में प्रश्नों का जवाब देता है । इसका फायदा भी किसानों को उपलब्ध हो रहा है ।

आईसीएआर ने लगातार जलवायु अनुकूल फसलों की दृष्टि से काम किया है । कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कुल 1020 जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास करके उनको खेती के लिए जारी किया है । इनमें अगर आप देखेंगे तो चावल-8, गेहूं- 13, मक्का-8, बाजरा-7, चौकी-3, कंगनी- 1, रागी-3, उड़द-1, चना-9, मूंग-1, पुल्थी-4, अरहर-6, मसूर-1, मूंगफली-12, सूरजमुखी -2, अरंडी-1, तोरिया-सरसों-3, सोयाबीन-1 और कपास-3 हैं । ये सभी जलवायु अनुकूल फसलों की इस दृष्टि से रिसर्च की गई हैं जिससे कि आने वाले कल में हम इस चुनौती से निपट सकें और हमारे किसान नुकसान से इस मामले में बच सकें । चावल की एक किस्म जो स्वर्णासब है, यह जलमग्न सहिष्णु चावल है जिसने पूर्वी भारत में उत्पादन ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है । इसी प्रकार से प्याज की एक किस्म भीमा सुपर है, इसको भी खेती के लिए आईसीएआर के द्वारा जारी किया गया है । जलवायु परिवर्तन से ठीक प्रकार से हमारे किसान मुकाबला कर सकें, इस दृष्टि से सरकार अनेक अनुसंधान भी कर रही है । किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मदद भी कर रही है और उसके परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं । पिछले दिनों अगर हम देखेंगे तो 1 जून 2019 से 14 नवम्बर 2019 के बीच में जो बरसात हुई, उसमें बड़ी मात्रा में फसलें खराब हुई हैं । असम में 2.14 लाख हेक्टेअर, बिहार में 2.61 लाख हेक्टेअर, छत्तीसगढ़ में 0.18 लाख हेक्टेअर, कर्नाटक में 9.35 लाख हेक्टेअर, केरल में 0.31 लाख हेक्टेअर, मध्य प्रदेश में 6.04 लाख हेक्टेअर, महाराष्ट्र में 4.17 लाख हेक्टेअर, नागालैंड में 0.02 लाख हेक्टेअर, उड़ीसा में 1.49 लाख हेक्टेअर, पंजाब में 1.51 लाख हेक्टेअर, राजस्थान में 27.36 लाख हेक्टेअर, त्रिपुरा में 0.014 लाख हेक्टेअर और उत्तर प्रदेश में 8.88 लाख हेक्टेअर है । त्रिपुरा में 0.014 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 8.88 लाख हेक्टेयर, उत्तराखंड में 0.003 लाख हेक्टेयर,

पश्चिम बंगाल में 0.08 लाख हेक्टेयर, अब यह किसान की बड़ी क्षति है । अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा इन राज्यों में बड़ी क्षति हुई है । एनडीआरएफ के तहत इन राज्यों को पैसा जारी हुआ, उसमें ओडिशा को 340.875 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 235.50 करोड़ रुपये, आंध्रप्रदेश को 200.25, करोड़ कुल, 1086 करोड़ रुपये इन सभी राज्यों को जारी हुए हैं ।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सुपर साइक्लोन बुलबुल की वजह से बहुत जिले खत्म हो चुके हैं ।...(व्यवधान) तीनों जिले खत्म हो गए ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : मैं आपकी बात से असहमति नहीं जाहिर कर रहा हूं । आप इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं । आप सभी इस बात को जानते हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की क्या भूमिका होती है और किस रास्ते एवं कैसे वह पैसा तय होता है? आपदा पश्चिम बंगाल की हो, ओडिशा की हो या किसी अन्य राज्य की हो, निश्चित रूप से उसे संवेदनशीलता से ही देखना चाहिए और उसी दृष्टि से देखने की कोशिश हो रही है । यहां पर अन्य राज्यों की भी प्राकृतिक आपदा की चर्चा आई है, जैसे - महाराष्ट्र है । महाराष्ट्र में दो-तीन बार ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है । वहां जुलाई-अगस्त में बारिश आई, तो 34 जिले और 170 तहसील प्रभावित हुए, 10 जिले बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं । इसमें राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि कृषि का क्षेत्र 4.17 लाख हेक्टेयर प्रभावित हुआ है, जिससे 8.69 लाख किसानों को नुकसान हुआ है । फसलों ज्वार, मुंग, सोयाबिन मक्का, मक्का, रागी, तुअर, बाजरा अनेक फसलें थी । फसल नुकसान की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं, और उनमें से 4135 किसानों के दावों का निपटान फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो उनकी पात्रता बनती थी, वह कर दिया गया है, शेष भुगतान प्रक्रिया में है । यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनश्योरेंस एजेंसी के द्वारा कर दिया गया है । बजाज को 3410 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनका सर्वे और बाकी चीजें चल रही हैं और वह भुगतान प्रक्रिया में है । इसी प्रकार से अगर महाराष्ट्र में देखें तो 15 अक्टूबर से 5 नवम्बर के बीच में फिर ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई । फिर 34 जिलों, 349 तहसीलों और लगभग 23 हजार गांवों में फसलों का नुकसान हुआ । इस संदर्भ में कार्रवाई हुई है और किसानों के भुगतान की

व्यवस्था कर दी गई है । भंडारा और गढ़चिरौली में 62 अधिसूचित क्षेत्रों में असफल बुआई की भरपाई के लिए 78 करोड़ के दावे का निपटान किया गया है । चूंकि राज्य सरकार को आकलन करना होता है, कंपनी को आकलन करना होता है और फिर सत्यापन करने के बाद भुगतान की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है । यद्यपि सरकार ने यह भी तय किया है कि भुगतान में विलंब को रोकने की दृष्टि से अगर दावे आ जाते हैं तो दावे आने के तीस दिनों के भीतर कंपनी को भुगतान करना चाहिए । अगर कंपनी भुगतान नहीं करेगी तो उस पर 12 प्रतिशत ब्याज दण्ड के रूप में लगेगा । इसी प्रकार से अगर राजस्थान को देखें तो राजस्थान में भी वर्ष 2017-18 के दावों का पूरा भुगतान कर दिया गया है और अब कोई भी दावा लम्बित नहीं है । खरीफ वर्ष 2018 में जालौर और बाड़मेर, इन दोनों जिलों का अनुमानित दावा 278 करोड़ रुपये है और बाड़मेर का 398.77 करोड़ रुपये है । कंपनी द्वारा इन दावों की भी वितरण राशि शुरू कर दी गई है । कुछ विषय राज्य सरकार की सब्सिडी न आने के कारण लम्बित हैं, जिसमें ए.आई.सी. 68 करोड़ रुपये, एच.डी.एफ.सी. को 35.74 करोड़ रुपये और एस.बी.आई. को 5.12 करोड़ रुपये बाकी हैं । ये भी पेमेंट हो जाएगा तो पूरा पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी । इसी प्रकार से कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्रों में भी जो आपदा के दावे हैं, उनका बजाज आलियांज, एच.डी.एफ.सी. और एग्रो फ्यूचर कंपनियों ने अपना काम करना प्रारम्भ कर दिया है और जल्द ही जो पात्र लोग हैं, उनको भुगतान होगा ।

कर्नाटक का विषय आया था । कर्नाटक के विषय में 3-4 कंपनियां काम कर रही हैं । वहां 27.12.2018 को तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक हुई थी और इसमें सभी लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा था । मुझे लगता है कि खरीफ के जो दावे हैं, उनका भी निपटान बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है । इसी प्रकार से गुजरात की भी स्थिति है और ठीक इसी प्रकार से बाकी राज्यों में भी फसल बीमा के अंतर्गत लोगों को लाभ मिल जाए, इसका काम तेजी से चल रहा है ।

इस दौरान एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. की बात आती है तो आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि एन.डी.आर.एफ. ने कर्नाटक के लिए 1200 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपये, बिहार के लिए 400 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के लिए 600 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है । यह राशि रिलीज कर दी गई है और बाकी अध्ययन चल रहा है । अगर सूखे की दृष्टि से देखें तो 2019-20 में मणिपुर और राजस्थान, इन दोनों राज्यों ने अपने आपको सूखा घोषित किया है । इसमें हमारी अंतर्राज्यीय समिति ने मणिपुर का दौरा कर लिया है, लेकिन अभी राजस्थान का दौरा करना शेष है । जैसे ही उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो एन.डी.आर.एफ. अपनी कार्यवाही प्रारम्भ कर देगा ।

नुकसान के आकलन की दृष्टि से मैं पहले बता चुका हूं कि सामान्य तौर पर राज्य अपना मेमोरेण्डम प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद गृह मंत्रालय के अधीन एक अंतरमंत्रालयीन समिति बनती है । वह समिति अध्ययन करती है और अपनी रिपोर्ट देती है । उसके बाद सक्षम समिति विचार करके वहां के लिए जो राहत तय करती है, वह घोषित की जाती है । मैंने आपको पूर्व में बताया था कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र को यह रियायत प्रदान कर दी गई है ।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, you have mentioned about so many States regarding the crop insurance but as far as Tamil Nadu is concerned, crop insurance has not even been assessed, and it seems that its Report has not been sent to the Government of India. If it is so, kindly throw some light on this particular issue. Every farmer, whomsoever I meet, is weeping. They have not been provided with the crop insurance so far. There is an inordinate delay. You said that there is no inordinate delay. But there is an inordinate delay in Tamil Nadu. I am sorry to disturb you in between.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : कोई बात नहीं । मैं आपको अभी क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताता हूं । दूसरा, मैं कह रहा था कि कुछ आपदाएं ऐसी रहती हैं, जो

एनडीआरएफ के नार्म्स में नहीं आती हैं । ऐसी स्थिति में उन किसानों के लिए क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में ही केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर विशेष पैकेज की घोषणा करती हैं । इसी दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो पिछली बार तमिलनाडु में गाजा चक्रवात से नुकसान हुआ । केरल में भी, जम्म-कश्मीर में भी बाढ़ से नुकसान हुआ । गाजा चक्रवात से तमिलनाडु में नुकसान हुआ । 16.11.18 को तमिलनाडु में पहुंचा था और अनेक जिलों में गम्भीर क्षति हुई थी । किसानों की खेती, 45 हजार हेक्टेयर नारियल की फसल और 23 हजार हेक्टेयर बागवानी की फसलों में नुकसान हुआ था । उस समय तमिलनाडु को एमआईडीएच के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि और नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से 92 करोड़ रुपये की धनराशि ऐसे कुल-मिलाकर 129 करोड़ रुपये उस समय तमिलनाडु को जारी किया गया था । ऐसे ही केरल में भी बाढ़ की स्थिति जब पैदा हुई तो उस समय 93.39 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज केरल सरकार को भी दिया गया था । जब जम्मू-कश्मीर में बाढ़ आई थी तो कृषि के क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ तो पांच सौ करोड़ रुपये की राशि उनको प्रदान की गयी । जिसमें से लगभग उन्होंने डेढ़ सौ करोड़ रुपये खर्च किए हैं और बाकी अभी प्रक्रिया में है । कल ही हम लोग उस मामले में समीक्षा कर रहे थे । कर्नाटक में भी इसी प्रकार की स्थिति खड़ी हुई थी । उस समय कर्नाटक राज्य में नारियल और सुपारी के किसानों के लिए 2477.26 करोड़ रुपये दिए गए थे । एनडीआरएफ के अंतर्गत 366 करोड़ रुपये भी उस समय मंजूर किए गए थे । फसल बीमा योजना के बारे में भी इस पूरी चर्चा में बात आयी है । अभी बालू साहब ने भी तमिलनाडु के बारे में इंगित किया है, जिसका आंकड़ा मैं आपको अलग से देता हूं । फसल बीमा योजना कोई सी भी बना लो, लेकिन बीमा का मॉडल तो मॉडल जैसा ही है । चाहे इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, पहले भी फसल बीमा थी । भर्तृहरि महताब जी उस दिन कह रहे थे कि यह फसल बीमा का चौथा अवतार है । उनकी बात सही है, लेकिन परिमार्जन की हमेशा गुंजाइश बनी ही रहती है । लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि फसल बीमा का जो कॉन्सेप्ट है, उससे कहीं लाभ होगा, कहीं कम लाभ होगा, लेकिन कुल मिलाकर जरूरतमंद अगर इंश्योर्ड होता है तो उसके नुकसान की कुछ भरपाई तो जरूर होती है । अभी फसल बीमा पर जब

भी चर्चा होती है, तो यह बड़ा लोकप्रिय विषय है । सभी सांसदगण भी चर्चा करते हैं, हम लोग भी राज्य में जाते हैं तो भी चर्चा होती है, तो उस दृष्टि से हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि इस को और अच्छा, और लाभप्रद कैसे बनाया जा सकता है । मैं आपके माध्यम से इतना बताना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले दिनों दो वर्षों में कुल प्रीमियम 47 हजार करोड़ रुपये आया था । अनुमानित दावे 38 हजार 499 करोड़ रुपये के थे और किसानों को जो भुगतान हुआ वह 38 हजार 351 करोड़ रुपये का हुआ । कुल मिलाकर जो कुल दावे थे, उनका 81 प्रतिशत लाभ किसानों को मिला । अगर हम देखें तो 100 रुपया अगर आया तो 81 रुपये नुकसान की भरपाई हुई है । मैं समझता हूं कि यह काफी संतोषजनक है, लेकिन फिर भी इसमें और परिमार्जन की गुंजाइश है तो हम उस दिशा में विचार कर रहे हैं ।

15.00 hrs

कई जगहों पर तो बहुत ज्यादा लाभ भी मिला है । मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं । खरीफ वर्ष 2016 में केरल में 209.9 प्रतिशत भुगतान हुआ था और कर्नाटक में 136.6 प्रतिशत भुगतान हुआ था । रबी वर्ष 2016-17 में तमिलनाडु में 298 प्रतिशत भुगतान हुआ है । आन्ध्र प्रदेश में 179.5 प्रतिशत भुगतान हुआ है । कर्नाटक में 174.7 प्रतिशत भुगतान हुआ है । अगर खरीफ वर्ष 2017 में देखें, तो छत्तीसगढ़ में 452.2 प्रतिशत भुगतान हुआ है । हरियाणा में 270.4 प्रतिशत हुआ है । मध्य प्रदेश में 160.6 प्रतिशत हुआ है । ओडिशा में 216.7 प्रतिशत हुआ है । अगर हम रबी में देखेंगे, तो आन्ध्र प्रदेश में 141 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 109 प्रतिशत, ओडिशा में 226 प्रतिशत, तमिलनाडु में 147 प्रतिशत, ऐसे अनेक राज्य हैं ।...(व्यवधान)

15.01 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

बहुत सारे राज्य हैं, उनकी लंबी सूची है । कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनमें किसी जिले में बहुत ज्यादा हुआ है और किसी जिले में कम हुआ है । अगर हम बिहार में देखेंगे, तो कटिहार और मुजफ्फरपुर में 100 प्रतिशत बीमित राशि का भुगतान हो गया है । मुजफ्फरपुर जिले में मुसहरी प्रखंड है, इसमें भगवानपुर अनुसूचित जाति की ग्राम पंचायत है । इसमें 100 प्रतिशत बीमित लोगों को भुगतान हो गया है । मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि कुल मिलाकर इंश्योरेंस योजना का भी लाभ किसानों को मिल रहा है । लेकिन यह लाभ और मिले, इसमें ट्रांसपैरेंसी और बढ़े, इसमें स्वतंत्रता और बढ़े, जैसा कि महताब जी ने कहा है कि कम से कम तीन साल का टेंडर होना चाहिए । मैं उनकी बात से सहमत हूं । जब केन्द्र सरकार ने यह शुरू किया था, तब भी राज्यों से आग्रह किया था । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में हम लोग केन्द्र से अपने हिस्से की जो प्रिमियम की राशि है, वह राज्यों को जमा करते हैं । लेकिन सामान्य तौर पर इन सारी प्रक्रियाओं का टेंडर करना, दावे का निर्धारण करना, कंपनी से तालमेल करना और भुगतान कराना, यह सब राज्य सरकार के ही अंतर्गत होता है । जैसे मध्य प्रदेश ने पिछली बार तीन साल का ही टेंडर किया था और कुछ लोगों ने एक साल का किया था । मैं आपकी बात से सहमत हूं और इस मामले में हम लोग इसको निश्चित रूप से और ठीक करने की कोशिश करेंगे । प्याज की बात भी चर्चा में काफी आई थी । इस समय निश्चित रूप से प्याज ज्वलंत विषय है । कभी-कभी विषय इतने गरम हो जाते हैं ।...(व्यवधान) मैं खाता हूं ।...(व्यवधान) इस बार निश्चित रूप से प्याज की कमी है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि भारत में प्याज का उत्पादन तीन मौसमों में होता है । रबी में 70 प्रतिशत, खरीफ में 20 प्रतिशत और खरीफ के बाद 10 प्रतिशत होता है । ऐसे तीन चरणों में प्याज का उत्पादन होता है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान हैं । ये राज्य बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं । वर्ष 2019 के दौरान जो अग्रिम आकलन वर्ष 2018-19 के लिए हुआ है, उसमें राज्यों ने जो अनुमान बताया है, उस हिसाब से 234.9 लाख टन उत्पादन का अनुमान था ।

लेकिन अगर हम मौजूदा वर्ष में देखेंगे, तो 30 नवंबर, 2019 के लिए जो राज्यों ने उत्पादक की रिपोर्ट दी थी, वह 69.9 लाख टन का अनुमान दिया था । लेकिन 69.9 लाख टन अनुमान की तुलना में 53.73 लाख टन कुल उत्पादन होने की संभावना है । अगर हम देखेंगे, तो लगभग 15.8 लाख टन का गैप है । यह जो गैप है, तो निश्चित रूप से इसके कारण तकलीफ होना स्वाभाविक है । लेकिन आप अगर देखेंगे तो सरकार ने इससे निबटने के लिए एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाया और इंपोर्ट करने के लिए भी ऑर्डर दिए । मैंने भी सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा कि प्याज आपके राज्य में सस्ती हो सके, उसमें राज्य सरकार के जो भी प्रयास हो सकते हैं, वे करने चाहिए । लेकिन इस बार जो कमी आई है, उससे हम जल्दी निकल सकें, इस मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर है । हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं ।

एक विषय मुख्य रूप से हमेशा आता है, मनरेगा को कृषि में शामिल किया जाए । अब मनरेगा के माध्यम से कृषि में भी बहुत काम हो रहा है । लेकिन सामान्य तौर पर लोगों के मन में यह बात रहती है कि मनरेगा से ऐसे मदों में काम आ जाए, जो उनकी इच्छा के मद हैं । लेकिन आप सब जानते हैं कि मनरेगा, एक बड़ी स्कीम है । सरकार की बड़ी राशि उसमें इन्वॉल्व रहती है । इस बार साठ हजार करोड़ रुपये का बजट मनरेगा में हम लोग खर्च करने वाले हैं । पांच करोड़ से अधिक गरीब लोगों को वैकल्पिक रोजगार मनरेगा के माध्यम से मिलता है, लेकिन मनरेगा में जल संरचनाओं को बल मिले, प्राथमिकता मिले और मनरेगा कार्यकलापों में कृषि के क्षेत्र का जुड़ाव रहे, इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आज भी मनरेगा के अंतर्गत 260 योजनाओं पर काम हो सकता है । 260 कार्य हैं, जो गाइडलाइन में दिए गए हैं । ऐसे 260 कार्य में 164 कार्य ऐसे है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं । जो भी सदस्य चाहे, उन्हें मैं मनरेगा की गाइडलाइंस भेज सकता हूँ । ऐसे जो 164 कार्य हैं, जिन कामों को करने से स्थायी संरचना भी बन सकती है, उसका जिओ-टैगिंग भी हो सकता है, ट्रांस्पेरेंसी भी हो सकती है, रोजगार भी जनरेट हो सकता है और कृषि को भी लाभप्रद बनाने में वे योगदान दे सकते हैं । इस दृष्टि से हम इसको लगातार खेत, कुएं, मिट्टी, रोगडैम, फीट, चैनल इन सारी चीजों पर लगातार खर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपके मत से

मैं सहमत हूँ । लेकिन सामान्य तौर पर हम यह कोशिश जरूर करेंगे कि जो गाइडलाइन में दिए गए हैं, उन्हीं में अगर मनरेगा का उपयोग होगा तो ठीक है ।

महोदय, यहां पर पाम ऑयल की खेती का भी विचार आया है । पाम आयल की क्षमता पूरे देश के 19 राज्यों में 19.33 लाख हैक्टेयर है । 16 राज्यों में अक्टूबर 2019 तक जो कवरेज है, वह 3.49 लाख हैक्टेयर है । फल क्षेत्र से कच्चे पाम आयल का उत्पादन वर्ष 2018-19 में 2.78 लाख टन था । लेकिन इसे और बढाया जाना चाहिए, क्योंकि तेल की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम आत्मनिर्भर नहीं हैं और हमारी कोशिश है कि भारत जिस प्रकार से दालों की दृष्टि से आगे बढ़ा है, वैसे ही तिलहन की दृष्टि से भी आगे बढ़े, इसके लिए तिलहन मिशन भी सरकार ने शुरू किया है । लेकिन पाम आयल की खेती बढ़े इसके लिए भी लगातार केंद्र सरकार कोशिश करती रहती है । इसके लिए आर्थिक मदद भी राज्यों को दी जाती है । इस बार सन् 2019-20 में यह क्षेत्र 17 लाख 410 हैक्टेयर तक जाए, यह लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है और इस पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी खेती में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, इसलिए राज्यों की रुचि थोड़ी कम रहती है । मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों को भी आग्रह करना चाहूंगा कि पाम की दृष्टि से हम लोगों को थोड़ी और अधिक रुचि लेनी चाहिए ।

सभापति महोदय, यहां मक्का के बारे में भी बात की गई थी, हमारे नांदयाल के सांसद रेड्डी साहब हैं, मैं उन्हें यह कहना चाहता हूँ कि मक्का में जो वार्म प्रकोप आया था, वह सरकार के संज्ञान में है । सरकार ने उस मामले में उचित रणनीति बनाई है और उस पर काम करने की कोशिश की जा रही है । मुझे लगता है कि आगे वह दिक्कत न आए, इस मामले में जागरुकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं । सरकार ने इसको रोकने की दृष्टि से और प्रबंधन को बढ़ावा देने की दृष्टि से 19,740 जागरुकता अभियान चलाए हैं । 1763 किसान फील्ड स्कूल आयोजित किए हैं, जिससे आने वाले कल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी ।

कल्याण दा ने बुलबुल चक्रवात की बात कही थी तो मैंने बताया है कि उस मामले में कार्य किया है । दूसरा उन्होंने जल प्रबंधन की बात कही थी, यह आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और वर्तमान परिवेश में भूजल का भी अभाव एकदम गहराता जा रहा है । पंजाब जैसे प्रांत तो एकदम संकट के मुहाने पर खड़े हुए हैं । इस दिशा में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी संख्या यूपीए-2 के समय, जो अधूरे बचे थे, लगभग वे 79 के करीब बड़े प्रोजेक्ट्स हैं । सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि पहले उन प्रोजेक्टों को पूरा किया जाए, जिससे जो सिंचाई क्षमता उनके माध्यम से सृजित हो सकती है, वह लोगों को मिले । लेकिन तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम हर खेत को पानी, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत पनधारा, प्रति बूंद अधिक फसल, इन सारी योजनाओं में हम लोग फंडिंग भी कर रहे हैं और सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से देखें तो 41 लाख हेक्टेयर का जो रकबा है, वह हम लोगों ने आच्छादित करने की कोशिश की है । इसको और बढ़ाएँगे, क्योंकि जल को बचाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता न खेती के लिए है, न मानव जीवन के लिए है, तो इस मामले में सरकार आपकी बात को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

विनायक जी ने महाराष्ट्र की बात कही थी । मैंने महाराष्ट्र के विषय को पूरा रख दिया है । कौशलेन्द्र जी ने बताया है कि राज्य सरकार वर्मी कम्पोस्ट पर बहुत तेजी से काम कर रही है और जैविक रकबे को बढ़ा रही है, 427 समूह पूरे राज्य में हैं । उन सब के लिए उनकी जो राशि बनती है, वह 19.28 करोड रुपये है, वह पूरी की पूरी जारी कर दी गई है । वर्मी कम्पोस्ट का काम बढ़े और जैविक खेती बढ़े, केन्द्र सरकार पूरी तरह हर राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है ।

महताब साहब ने भी प्राकृतिक आपदा की बात कही थी । मैंने सभी राज्यों का विवरण दिया ही है और निश्चित रूप से इसमें एक फर्क जरूर है कि पिछले एनडीआरएफ के जो मानदण्ड थे, पहले 50 प्रतिशत नुकसान होता था, तभी किसान को लाभ मिलता था । लेकिन मोदी जी सरकार आने के बाद इसको घटा कर 33 प्रतिशत किया । इसमें भी काफी बड़ी मात्रा में किसान जोड़े हैं ।

वर्ष 2018-19 के दौरान 6 राज्य- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और झारखंड ने एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किए और उच्च स्तरीय समिति ने 9,200 करोड़ रुपये की मंजूरी कर दी है । यह मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ ।

ऋणी किसानों की बात आपने कही । गैर ऋणी किसानों का भी विषय रखा । अब यह बात सही है कि जब योजना बनी तो ऋणी किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी, लेकिन सभी जो किसान संगठन हैं और आप जैसे सभी किसानों के बारे में अध्ययन करने वाले जो सांसदगण हैं, सब की तरफ से यह बात आती है कि यह स्वैच्छिक होना चाहिए । मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि वर्ष 2014 तक गैर ऋणी जो किसान थे, वे 5 प्रतिशत ही इन्श्योर्ड होते थे । लेकिन अभी जो अवेयरनैस आई है, उसमें जो बैंक से ऋण लिया, वह तो अनिवार्य रूप से बीमित हो ही जाता है, लेकिन शेष भी 5 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गए हैं, मतलब इश्योरेंस के प्रति एक जागरुकता लोगों में बढ़ रही है ।

तीन वर्ष वाला मैंने आपको बताया ही है । जीएसटी वाली बात भी आपने कही है । अब जीएसटी पर तो मेरे से ज्यादा आप जीएसटी से जुड़े हुए हों और आपकी भावना को मैं वित्त मंत्रालय को निश्चित रूप से अवगत करा दूँगा । यह आपकी जानकारी में है कि यह विषय जीएसटी काउंसिल का है । जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और सभी मुख्यमंत्रियों को मिलकर तय करना है, लेकिन किसानों के प्रति जो आपकी संवेदना है, वह निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है ।

हमारे दानिश अली साहब गन्ने की चिंता कर रहे थे । मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है । केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों के भुगतान के प्रति पूरी तरह चिंतित हैं । वर्ष 2018-19 में भुगतान के कदम उठाए गए और 03.12.2019 तक कुल देय राशि 81,626 करोड़ रुपये थी, उसमें से 78,471 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया, जो कुल देय राशि का 96 परसेंट है । ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जो गन्ना मिल्स हैं, उन पर भी 28,851 करोड़ रुपया देय था, उसके विरूद्ध 26,750 करोड़ रुपये का

भुगतान कर दिया गया है । राज्य के 33 हजार 48 करोड़ रुपये के विरूद्ध 29,267 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है, जो 89 परसेंट है ।... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): क्या यह हर साल इसी साईकल से चलता रहेगा?...(व्यवधान) किसानों का भुगतान दो साल बाद होता है ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Danish Ali ji, please sit down. Let the hon. Minister complete his deliberation. After that I will allow you to seek clarification.

....(Interruptions)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : दानिश अली साहब, आपको भरोसा रखना चाहिए । नामा नागेश्वर राव जी ने ऑयल पाम मिशन वाली बात कही थी, मैंने उसके बारे में बता ही दिया है । सुनील तटकरे जी ने स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट के बारे में कहा । स्वामीनाथन साहब ने जब अध्ययन किया और आयोग की रिपोर्ट सौंपी तो उसमें उन्होंने 201 सिफारिशें की थीं । मैं आपको यह बताते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि 201 सिफारिशों में से सरकार ने 200 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिन पर वह काम कर रही है ।...(व्यवधान) उसमें प्रमुख रूप से जो सबसे कठिन बात थी, वह थी एमएसपी लागत का डेढ़ गुना करना । वह भी हो गया है और आप देख रहे हैं कि अनेक वर्षों से हर बार रबी और खरीफ की एमएसपी 22 फसलों के लिए आती है और उसको डेढ़ गुना करके घोषित किया जाता है ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए । मंत्री जी के जवाब के बाद आपको मौका दिया जाएगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : जलवायु परिवर्तन के विषय पर मैं बता चुका हूँ । जयदेव जी ने स्वामीनाथन जी की बात कही, वह भी मैंने बता दिया है । वीरेन्द्र सिंह जी ने

मानधन योजना वाली बात कही थी, तो मैं उसके बारे में बाद में बताऊँगा ।... (व्यवधान) अनुप्रिया जी ने कहा था, तो मैंने अभी महताब जी को बताया है कि जो गैर ऋणी किसान हैं, उनकी संख्या 5 परसेंट से बढ़कर 42 परसेंट हो गई है । संजय पाटील जी ने फसल बीमा योजना में पारदर्शिता की बात की है । मैं उनकी बात से सहमत हूँ । हम लोगों ने फसल बीमा पोर्टल भी बनाया है । उपज के आंकड़े एग्री ऐप से भेजने को अनिवार्य भी किया है । बीमा कंपनियों का चयन नीलामी/ऑक्शन के द्वारा हो, हमने यह भी सुनिश्चित किया है । नन्दकुमार सिंह जी ने बेमौसम की बरसात की बात की थी । नरेगा के बारे में मैं बता ही चुका हूँ । लगभग-लगभग प्रमुख रूप से कई चीजें आ गई हैं ।

किसान की आमदनी दोगुनी करने वाला विषय अधीर रंजन जी ने और बहुत सारे लोगों ने उठाया । यह बात निश्चित रूप से सही है कि सबके मन में यह आए कि किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे होगी? लेकिन, खेती का जो विषय है, उसको अगर हम मिशन मोड में हाथ में नहीं लेंगे तो इसमें परिणाम नहीं आएगा । पहले भी आपने देखा होगा, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन अगर किसी प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री ने मिशन मोड में काम करने की कोशिश की है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आए हैं । पिछले दिनों जब प्रधान मंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत मिशन की बात की थी तो सारा देश उठकर खड़ा हुआ था और सारे देश ने स्वच्छता के लिए काम किया । उसके परिणाम भी आज परिलक्षित हो रहे हैं । इसी प्रकार से जब वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कही तो आज पार्लियामेंट से लेकर ग्राम पंचायत तक सब जगह यह चर्चा है कि दोगुनी करनी है । कुछ लोग पूछते हैं कैसे करेंगे, कुछ लोग कहते हैं, करेंगे और कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं । लेकिन, कुल मिलाकर यह विषय आज चर्चा में आ गया है और सरकार के लिए जो कृत्य हैं, उन कृत्यों पर सरकार भी काम कर रही है । जब प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी तो उसके बाद विभाग ने इस विषय पर एक अंतर मंत्रालयीन समिति बनाई थी । उस समिति ने अपनी सिफारिशें देनी शुरू की, लेकिन उन्होंने अंतिम सिफारिश सितम्बर, 2018 में कृषि मंत्रालय को दे दी । इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, इसकी मॉनिटरिंग हो, इसके लिए अधिकार प्राप्त नियामक समिति का गठन

कर दिया गया है । आय को दोगुनी करने के लिए स्रोतों की पहचान की गई, जिसमें फसल की उत्पादकता में सुधार, पशुधन उत्पादकता में सुधार, उत्पादन लागत में बचत, फसल सघनता में वृद्धि, उच्च मूल्य की फसलों की ओर विविधता, किसानों द्वारा वास्तविक मूल्य में सुधार और कृषि और गैर कृषि व्यवसायों में जाने की कोशिश आदि शामिल है । इसलिए हम लोगों ने पूर्व उत्पादन, वर्तमान उत्पादन और उत्पादन के पश्चात इन सारी चीजों पर विमर्श करके पूरा एक रोडमैप बनाया है । खाद्यान के लिए क्या होगा, दलहन के लिए क्या होगा, फूलों के लिए क्या होगा, फलों के लिए क्या होगा, जैविक के लिए क्या होगा, जीरो बजट के लिए क्या होगा इन सभी चीजों के लिए रोडमैप्स तैयार किए जा रहे हैं । मैं इसको थोड़े में बताऊंगा, क्योंकि यह विषय बहुत लोकप्रिय है और इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है । इसलिए मैं उसे जल्दी कर रहा हूं । लेकिन, मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि अभी भी कदम उठाए गए हैं, उन कदमों से निश्चित रूप से उत्पादकता में लाभ हो रहा है । जैसे आप देखेंगे वर्ष 2009 से 2014 में खाद्यानों का उत्पादन 248.81 मिलियन टन था और वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में उत्पादन में 8.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अब यह बढ़कर 269.72 मिलियन टन हो गया है । इसी प्रकार से वर्ष 2009 से 2014 की अवधि में दलहन का औसत वार्षिक उत्पादन 17.52 मिलियन टन था, वर्ष 2014 से 2019 के बीच में यह 20.0 था, अब 21.8 मिलियन टन हो गया है । इसी प्रकार जो उच्च मूल्य वाली फसलें हैं, यदि हम बागवानी को देखेंगे, तो वर्ष 2009 से 2014 में बागवानी का औसत वार्षिक उत्पादन 253.4 मिलियन टन था, वर्ष 2018-19 में 17.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अब यह 298.67 मिलियन टन हो गया है । मधुमक्खी पालन में वर्ष 2009 से 2014 में औसत वार्षिक उत्पादन 351.95 मीट्रिक टन था । वर्ष 2014 से 2019 के बीच में 488.93 मीट्रिक टन हो गया, जो 38 प्रतिशत की वृद्धि है । इसी प्रकार से पशुपालन, डेयरी, मत्स्य मामलों में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है । बालू साहब ने तमिलनाडु में फसल बीमा की बात कही थी, रबी के धान में कुल दावे 1649.24 करोड़ थे और कुल भुगतान 1485.50 करोड़ रुपये हुआ है, शेष दावे राज्य सरकार और इंश्योरेंस कंपनियों के मध्य चर्चा में हैं । अगर आप चाहेंगे तो मैं कंपनीवार ब्यौरा भी आपको दे दूंगा । अधीर रंजन जी, अभी यहां नहीं हैं ।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर, वर्ष 2014 से, जब से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने काम संभाला है, तब से लगातार इस बात की कोशिश हुई है कि गांव और खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इस रीढ़ को मजबूत होना चाहिए । इस रीढ़ को मजबूत करने में चाहे डेढ़ गुना एमएसपी देना हो, चाहे पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये वार्षिक देने हों या प्रधान मंत्री मानधन योजना के माध्यम से पेंशन योजना लागू करनी हो या अन्यान्य योजनाओं के माध्यम से, यदि आप बजट को भी देखेंगे तो वर्ष 2009 से 2014 तक कृषि का बजट 1,21,000 करोड़ रुपये था, आज देखेंगे कि वर्ष 2019-20 का बजट 1,31,000 करोड़ रुपये है । यह वृद्धि इस बात को प्रदर्शित करती है कि मोदी सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि जब किसानों और खेती की चर्चा हो तो आप सभी के जो सुझाव आएंगे, उनमें से जो मानने योग्य होंगे, उन पर सरकार जरूर विचार करेगी । आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं ।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister, some hon. Members want some clarifications.

Shri Subbarayan, do you want to ask any question?

श्री अजय कुमार ।

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): सभापति जी, लखीमपुर खीरी सहित नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में फल व सब्जियों की गुणवत्ता हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गौरीफंटा, लखीमपुर सहित अन्य कई स्थानों पर, जहां से भारत से फल व सब्जियां नेपाल को निर्यात की जाती हैं, गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिसम्बर, 2018 में प्रयोगशाला व कार्यालय स्थापित करने का निर्णय कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने लिया था । उक्त लैब के स्थापित न होने के कारण कृषि उत्पादों का पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है और आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ा है,

जिसका असर क्षेत्र के किसानों की आय पर पड़ा है । मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इन लैब्स व कार्यालयों को प्रारम्भ किया जाएगा?

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): सर, मंत्री जी ने बहुत विस्तृत जवाब दिया है, लेकिन मैं दो चीजें पूछना चाहता हूं । जब मैंने डिबेट में बोला था, तब भी कहा था कि जब पूरी फसल डैमेज होती है तो कंपेनसेशन 8000 रुपये होता है, जिसमें से 4000 रुपये राज्य सरकार देती है और 4000 रुपये केन्द्र सरकार देती है । गेहूं का नुकसान 40000 रुपये होता है और पैडी का नुकसान 50000 रुपये या 55000 रुपये होता है । मैंने कहा था कि कम से कम इसे 50 प्रतिशत कर दीजिए । क्या इसके बारे में मंत्री जी कुछ बताना चाहेंगे?

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा): सभापति जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है । मैंने डिबेट में भी बोला था और मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में बताया है कि करीब 46,000 फसल बीमा क्लेम्स में 38,000 से ज्यादा कंपनियों ने दिया है और 8000 के करीब कंपनियों के पास जमा रहा है, इसके बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मदद की है । मंत्री जी ने बोला है कि हम उसे अधिक लाभप्रद और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं । क्या राज्य सरकार या भारत सरकार अपनी बीमा कंपनी खोलने पर विचार कर रही हैं?

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): सर, मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । पिछले महीनों में पंजाब में नेचुरल कैलामिटी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । सतलुज दरिया में बहुत सारे ब्रीचेज हुए, हैवी रेन और भाखड़ा डैम से ज्यादा पानी रिलीज करने से पंजाब का लगभग 1219.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । हमारे सैकड़ों गांव पानी में डूब गए । सतलुज नदी के जो बांध हैं, इनकी काफी समय से मरम्मत नहीं की गई, इनकी कोई मेनटेनेंस नहीं की गई । इस वजह से ये काफी कमजोर हो गए हैं । जब भी बारिश होती है, तो यह डर बन जाता है कि कोई दुर्घटना हो सकती है । क्या सरकार का विचार है कि इन बांधों को स्ट्रैंथन करने के लिए काम किया जाएगा?

मेरा दूसरा क्लैरीफिकेशन यह है कि पंजाब का वॉटर टेबल बड़ी गंभीर स्थिति में है । हमारी ज्यादातर ब्लॉक्स की स्थिति बहुत खराब है । हमारे यहां

पैडी के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है । क्या सरकार का ऐसा कोई प्लान है कि डायवर्सीफिकेशन करके पैडी को रोका जाए । यदि लोग पैडी न पैदा करें तो उन्हें मुआवजा दिया जाए ।

कुंवर दानिश अली : मंत्री जी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी का सपना है कि किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए । उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम कितने समय से नहीं बढ़ा और लागत के दाम कितने बढ़ गए हैं, यह मंत्री जी बताएं?

HON. CHAIRPERSON : The hon. Minister has elaborately replied here. So, the hon. Members can ask only small clarificatory questions.

… (*Interruptions*)

कुंवर दानिश अली : मेरा एक सवाल यह भी है कि फसल बीमा योजना में प्राइवेट बीमा कम्पनीज को पैसा गया है, इसके लिए सरकार ने क्या किया है?

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति जी, मंत्री जी ने माना है कि महाराष्ट्र के 34 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । कोल्हापुर, सांगली और रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में 20 दिनों तक बाढ़ आई थी, उसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्टता नहीं दी है । 900 करोड़ रुपये एनडीआरएफ ने बेमौसम के लिए दिए । शायद तोमर जी मछली खाते होंगे ।…(व्यवधान) मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कोस्टल लाइन से जो मछुआरे बेघर हो चुके हैं, उनके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है । मछुआरों के बारे में चाहे वेस्ट कोस्टल लाइन हो या ईस्ट कोस्टल लाइन हो, क्योंकि साढ़े आठ हजार किलोमीटर लम्बा समुद्र हैं, वहां लोग रहते हैं । मंत्री जी इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति जी, बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है और दस से पन्द्रह जिले नेपाल से आने वाले पानी से प्रभावित होते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नेपाल से आने वाले पानी से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से बचाव के लिए क्या आपने नेपाल सरकार से कभी बात की है?

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, Sir. I would like to ask this from the hon. Minister. Andhra Pradesh was affected severely because of Hudhud cyclone. At that time, the hon. Prime Minister visited there with a concerned heart, and he had promised Rs. 1,000 crore as relief. But the hon. Prime Minister's promise is not fulfilled yet. I would like to ask this from the hon. Minister. When will this promise be fulfilled fully?

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसल के नुकसान होने पर पहले गिरदावरी होती है, उसके बाद आकलन किया जाता है तथा और भी कई फार्मैलिटीज की जाती हैं, उसके बाद बीमा का पैसा मिलता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत फसल का नुकसान होने के एक-दो दिन बाद या जल्द से जल्द कुछ मिनिमम मुआवजा दिया जाए । बाद में जब फसल के पूरे नुकसान का पता चल जाए, तो मुआवजे की बची धनराशि तब दे दी जाए । अभी ऐसा होता है कि नुकसान के तीन-चार महीने तक गिरदावरी के कारण मुआवजा मिलने में देरी होती है । दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार ने 20 हजार रुपये मुआवजा दे दिया और गिरदावरियां बाद में हुईं । क्या सरकार ऐसा कुछ करेगी?

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): माननीय सभापति जी, मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि जो फसल बीमा है, इसका प्राइवेट बैंकों से टाइ-अप होता है । मेरा मंत्री जी से यह अनुरोध है कि जो सेन्ट्रल बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है या राष्ट्रीयकृत जो बैंक्स हैं, उनके द्वारा इनका बीमा होगा तो किसानों को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है । इनको पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता । इसलिए इनको माननीय प्रधान मंत्री जी की इच्छा के अनुरूप पूरा मुआवजा दिया जाए । धन्यवाद ।

श्री सुनील कुमार मंडल (वर्धमान पूर्व): माननीय सभापति जी, मुझे एक ही बात पूछनी है कि माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है कि किसान की आय

दोगुना हो, तो यह सपना कैसे पूरा होगा? जो किसान की सब्जियां हैं, जिस समय ये सब्जियां होती हैं, उस समय दाम बिल्कुल शून्य हो जाते हैं । इसलिए इस बारे में कुछ व्यवस्था की जाए ।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान छुट्टे पशुओं से हुआ है । क्या माननीय मंत्री जी इसका एक सर्वे करवाएंगे कि कितने छुट्टे पशु हैं और कितना उन्होंने नुकसान कर दिया? उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या वह 10,000 रुपया प्रति किसान को देने का काम करेंगे?

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर क्रैडिट आप कितना देते हैं और इस सारे क्रेडिट में से छोटे और सीमान्त किसानों का क्या हिस्सा है? दूसरे, सीएसीपी ने क्या ऐसा कोई प्रस्ताव दिया है कि एमएसपी भेजना एक लीगल राइट होना चाहिए?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, you are now in the Chair, so, I am asking the question from your side also. Kerala is affected by severe floods in the last few years and the Central Government promised to compensate for the losses of the farmers, but they did not get any adequate help from the Central Government. Can the Central Government give adequate compensation to the Kerala Government and the farmers of Kerala?

श्री चुन्नी लाल साहू (महासमुन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो फसल नुकसानी सर्वे किया जाता है, वह ग्रामवार होने के बजाए किसान का व्यक्तिगत सर्वे होना चाहिए ताकि किसान को उसका पूरा लाभ मिले ।

श्री हेमन्त पाटिल (हिंगोली): माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में अतिवृष्टि के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । सिर्फ इस मार्फत 900 करोड़ रुपये दिया जा

रहा है । मेरी विनती है कि उसके अलावा महाराष्ट्र को किसानों के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए और जो अतिवृष्टि से उनको नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई ज्यादा से ज्यादा हो । धन्यवाद ।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): माननीय अध्यक्ष जी, समर्थन मूल्य के ऊपर जो बाजरा, ज्वार और मक्का राजस्थान में बहुतायत में होता है, मेरा सरकार से निवेदन है कि उसकी भी सरकारी खरीद होनी चाहिए । दूसरे, किसान को इकाई मानकर उसको फसल बीमा का भुगतान किया जाना चाहिए ।

श्री अबू ताहेर खान (मुर्शिदाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बुलबुल के कारण बंगाल में जो खेती को नुकसान हुआ है, किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? जो किसानों को नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार क्या विचार कर रही है? दूसरे, प्याज के संरक्षण की सरकार की क्या तकनीक है?

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस चर्चा में भाग लेते हुए यह कहा था कि नीलगायों से किसानों के फसलों का नुकसान हो रहा है और यह लगातार हो रहा है । उसके बचाव के लिए माननीय मंत्री जी क्या उपाय करेंगे?

माननीय अध्यक्ष : अब कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी नहीं हैं ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो-तीन चीजें आई हैं, बाकी तो कॉमन चीजें हैं । एक पशुओं का विषय आया है । मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहता हूं कि पशुओं और जंगली जानवरों से जो नुकसान होता है, उसके लिए पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय की एक स्कीम है, उसके अंतर्गत ये सारी कार्रवाई होती है, हम लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं । फल, सब्जी के नुकसान के बारे में अजय मिश्रा जी ने कहा है । उन्होंने यह बात संज्ञान में लाई है । यद्यपि मैंने इस मामले में कहा था । मैं उनसे मिल कर बता दूंगा कि इस मामले में आगे क्या बढ़ा । देबू सिंह जी फसल बीमा की बात कर रहे थे, उनके यहां

फसल बीमा का मामला ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर कोई विषय संज्ञान में लाएंगे तो उसका निराकरण करेंगे । अमर सिंह जी हमारे मित्र हैं और बहुत पुराने ब्यूरोक्रैट्स हैं । मैं समझता हूं कि वह जिंदगी भर फसल बीमा योजना और बाकी योजनाओं से संबंधित काम करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने मांग लिया कि फ्लैट 50 प्रतिशत मुआवजा दे दें । हर योजना के लिए कोई न कोई पद्धति का निर्माण करना पड़ता है । ऐसे में सीधा यह कह पाऊं, यह संभव नहीं होगा ।

पंजाब में सतलुज पर बैंक बनाने की बात आई है । आपकी बात ठीक है । जल संसाधन मंत्री जी यहां बैठे हैं । उन्होंने आपका विषय सुना है । दानिश अली साहब गन्ना किसानों वाली बात कह रहे थे । यह निश्चित रूप से हर फसल में है । केवल गन्ने में ही लागत का भाव बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि यह गेहूं, चावल और फल में भी हो रहा है । इस दृष्टि से सरकार गंभीर है और समय-समय पर कार्रवाई करती रहती है ।...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : गन्ने का भाव नहीं बढ़ा है ।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : दानिश अली साहब, आप चिंता नहीं करें, हम वर्ष 2022 में हिसाब देंगे ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सौगत राय के साथ बैठते हैं ।

...(व्यवधान)

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय सदस्य ने यह भी गुहार लगाई थी कि मेरे समय को अब वापस जीरो से शुरू किया जाए । मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन-सी समय की बात कर रहे हैं । मुझे लगता है कि अभी वह जवान है, तो वह समय की बात अभी से क्यों कर रहे हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : कौशलेन्द्र जी ने नेपाल से बात करने के लिए आग्रह किया था, तो सामान्य तौर पर जब ऐसी परिस्थिति आती है तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों ही बात करती हैं ।...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): देश-देश का मामला है । हर साल कई जिलों के फसल हर साल बह जाती हैं ।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : मैं आपकी बात से सहमत हूं । हमारी बहन गीता जी ने आंध्र प्रदेश के हूदहूद की बात कही है । मैंने बताया है कि बीमा के अंतर्गत या एनडीआरएफ की जो राशि है, वह प्रधान मंत्री जी के उद्धघोषणा के अंतर्गत दी गई है । मैंने पशुओं के बारे में बता दिया है । मैं केरल की बात भी कह चुका हूं । चुन्नी लाल शाहू जी ने सर्वे की बात कही है । प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पर दोबारा से रिव्यू हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम फसल बीमा योजना के लिए, जिस प्रकार के सुझाव आए हैं, हम उन पर विचार करेंगे । आगे वह कैसे व्यावहारिक हो सकता है, यह बात जरूर है । अधीर रंजन जी लीगल राइट की बात कर रहे थे । मैं समझता हूं कि अभी भी एमएसपी का लीगल राइट जैसा ही है । इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है ।इसके लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है । जहां-जहां राज्य सरकरें इसमें रुचि दिखाती हैं, वहां-वहां एम.एस.पी. पर अच्छी खरीद होती है । किसी राज्य सरकार की रुचि कम है, किसी राज्य सरकार की रुचि ज्यादा है, किसी की रुचि एक फसल में है, किसी की रुचि दूसरी फसल में है ।

माननीय अध्यक्ष: क्या सभी माननीय सदस्य संतुष्ट हैं?

श्री विनायक भाउराव राऊत : महोदय, मैंने मछुआरों का विषय रखा था । इस वर्ष में पूरे 8 मास मछुआरे मछीमारी नहीं कर सके हैं । मंत्री महोदय सभागृह में आ गए हैं । पहले फैनी आया, उसके बाद बुलबुल आया, इससे मछुआरे ध्वस्त हो चुके हैं । जिनके नाम पर जमीन है, उनको मंत्री महोदय जी ने कुछ न कुछ देने का काम किया । जिनके नाम पर समुद्र के पानी का 7/12 है ही नहीं, लेकिन वर्षों से उनका जीवन समुद्र के ऊपर निर्भर है । फैनी हो, बेमौसमी बारिश हो या भारी बारिश हो, उन मछुआरों का काम बंद हो जाता है । उस समय इन मछुआरों को सहायता कौन देगा?

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): महोदय, खासकर गृह मंत्रालय के डिजास्टर मैनेजमेंट डिविजन की ओर से ऐसे समय में

उनका आकलन करके, उनकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की जाती है । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी ने आप सबको बड़ा विस्तृत जवाब दिया है । सारी समस्याओं के समाधान के बारे में भी चर्चा की है । माननीय मंत्री जी खुद भी किसान हैं और राज्य में भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, जिससे उन्हें अनुभव है । जिन-जिन माननीय सदस्यों ने और सुझाव दिए हैं, माननीय मंत्री जी आप सबके सुझावों के आधार पर निश्चित रूप से काम करेंगे, ऐसा सदन का आग्रह है ।

...(व्यवधान)

-

-